न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार योगी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
हरसुखराम पुत्र स्व. हीराराम जाति जाट निवासी ग्राम पूनास तहसील सांजू जिला नागौर।		1 सीताराम पुत्र स्व. गणपतराम जाति जाट 2 चुकादेवी पत्नी स्व. गणपतराम जाति जाट निवासीगण डाबरियानी कलां तहसील मेडता सिटी जिला नागौर। 3 संतोष पुत्री स्व. गणपतराम पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी मोकलपुर तहसील मेडता सिटी जिला नागौर। 4 पटवारी हल्का ग्राम पूनास तहसील सांजू जिला नागौर। 5 तहसीलदार, सांजू, जिला नागौर, राजस्थान। 6 तहसीलदार, डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान। 7 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा मेडता सिटी जिला नागौर। 8 मादाराम पुत्र हीराराम 9 जबराराम पुत्र हीराराम 10 भागाराम पुत्र हीराराम 11 शंकरराम पुत्र हीराराम 12 रामनिवास पुत्र हीराराम 13 भीखाराम पुत्र हीराराम जातियान जाट निवासीगण पूनास तहसील सांजू जिला नागौर, राजस्थान।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल पोटलिया अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भंवरलाल खुडखुडिया अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।
3. श्री बीरबल कमेडिया अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 08 व 10 की ओर से।
4. श्री हनुमान पोटलिया अधिवक्ता, रेस्पोंडेंट संख्या 12 की ओर से।
5. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 04 से 06 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 22.02.2024

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार (भू.अ.) डेगाना मौजा पूनास के नामान्तरकरण सं. 157 निर्णय दिनांक 04.01.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.04.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 25.04.2022 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से श्री भंवरलाल खुडखुडिया अधिवक्ता तथा रेस्पोडेंट संख्या 08 व 10 की ओर से श्री बीरबल कमेडिया, रेस्पोडेंट संख्या 12 की ओर से हनुमान पोटलिया, रेस्पोडेन्ट संख्या 04 से 06 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 07, 09, 11. 13, बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे है, अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा पूनास के नामान्तरण संख्या 157 की फोटोप्रति, सहायक कलक्टर डेगाना के प्रकरण संख्या 127/2021 के फर्दअहकाम की प्रमाणित प्रति, सहायक कलक्टर डेगाना के प्रकरण संख्या 123/2021 के फर्दअहकाम की प्रमाणित प्रति, सहायक कलक्टर डेगाना में प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति, नोटिस की प्रमाणित प्रति–2 फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट सरकारी सेवा में कार्यरत है एवं न्यायालय हाजा का स्थगन आदेश होने से अपीलांट एक सभ्य व संभ्रात नागरिक होने के कारण इसी विश्वास में था कि राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना की जायेगी, लेकिन रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 3 ने दीगर रेस्पोडेंट्स संख्या 4 से 7 से मिलावट कर विधि विरूद्व म्यूटेशन जेर अपील भरकर आईसीआईसीआई बैंक शाखा मेडता से ऋण प्राप्त किया, अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड खतौनी की नकल लेने हेतु दिनांक 16.04.2022 को ईमित्र पर गया, तब राजस्व रेकर्ड खतौनी में आईसीआईसीआई बैंक शाखा मेडता सिटी का इन्द्राज मिला, तब अपीलांट ने म्यूटेशन जेर अपील की प्रमाणित प्रति के संबंध में जानकारी पटवारी हल्का से की, तब पटवारी हल्का ने म्यूटेशन जेर अपील की प्रमाणित प्रति दिनांक 18.04.2022 को उपलब्ध करवाई। जिससे अधिवक्ता से सलाह कर अविलम्ब अपीलांट यह अपील पेश की गई। जिसे मियाद में शुमार की जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– नामान्तरकरण जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यो, परिस्थितियो, राजस्व रेकर्ड, साक्ष्य व रेकर्ड के विपरीत जाकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों की अवहेलना कर पारित किया गया होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)– हुक्मारामजी के चार पुत्र नैनाराम, सुण्डाराम, भैराज व पन्नाराम थे। जिनमें से सुण्डाराम, भैराज व पन्नाराम अपने जनदीकी रिश्तेदारों के यहां ग्राम डाबरियानी कलां तहसील मेडता में सेलटमेंन्ट लागू होने से पहले जागीरी काल मे जाकर परिवार सहित बस गये। स्वर्गीय नैनाराम के तीन पुत्र दुर्गाराम, पुरखाराम व हीराराम पैदा हुए, जिनमें से दुर्गाराम व हीराराम अपने स्वर्गीय पिता नैनाराम के साथ ग्राम पूनास में रहे। नैनाराम के तीसरे पुत्र नाबालिग पुरखाराम को उसके काका सुण्डाराम, भेराज, पन्नाराम ने डाबरियानी कलां जाते समय साथ ले गये, इस प्रकास सुण्डाराम, पन्नाराम, भैराज व पुरखाराम ग्राम

अपर कलक्टर, नागौर

डाबरियानी कलां में स्थायी रूप से रहे व आज भी वहीं सुण्डाराम, भैराज व पन्नाराम के वंशज व स्वर्गीय पुरखाराम के वंशज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स 2 परिवार सहित ग्राम डाबरियानी कलां में स्थायी रूप से रहने से उनके मकान, घर गौर जमीन भी आबादी सरहद डाबरियानी कलां में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ग्राम डाबरियानी कलां के स्थायी निवासी होने से परिवार कार्ड, आधार कार्ड मतदाता सूची, जन आधार कार्ड इत्यादि सरकारी दस्तावेजात उनके नाम से बने हुए है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के स्वर्गीय पूर्वज पुरखारामजी के सेटलमेन्ट से पहले चले जाने के के बाद पूनास के बिरले अवसरो को छोडकर कभी आना जाना नहीं रहा। खेत खसरा नबर 17 रकबा 2.3800 हैक्टयर, खसरा नम्बर, खसरा नम्बर 42 रकबा 1.3800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 3.0900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 49 रकबा 2.4200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 6.4000 हैक्टयर कुल रकबा 15.6700 हैक्टयर मौजा पूनास तत्कालीन जागीरदार बन्नेसिंह पुत्र जोगसिंह राजपूत की रही थी, जिससे अपीलांट के बडे पिता दुर्गारामजी व पिता हीरारामजी ने सेटलमेन्ट से काफी अरसे पहले तत्कालीन जागीरदार से लगान की एवज में काश्तकारी हेतु लिया, काश्त शुरू कर दी एवं उपजाउ का इजारा जागीरदार को अदा किया जाता रहा। काश्तकारी कानूनी 1955 के प्रभाव में आने के समय अपीलांट के पिता दुर्गाराम व हीरारामजी काबिज थे, जिन्होने नियमानुसार लगान सरकार को अदा किया व उन्हे काश्त कब्जे क आधार पर खातेदारी प्राप्त हुए। स्वर्गीय पुरखारामजी के डाबरियानी गांव में चले जाने के पश्चात स्थायी रूप से वहां रहे व उनके एक पुत्र गणपत पैदा हुआ, जो फौत हो गया,, जिसके रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 कायम मुकामान है पुरखाराम के ग्राम डाबरियानी चले जाने के बाद अपीलांट के पिता व उनके बडे भाई पुरखाराम को काश्त हेतु भूमि खरीदने हेतु निजी संसाधनों से प्राप्त राशि उपलब्ध करवाकर गांव डाबरियानी व देवावास तहसील मेडता में भूमि खसरा नम्बर 83, 84, 87 ग्राम डाबरियानी कलां व खसरा नम्बर 33, 34 ग्राम देवास में क्रय करके पुरखाराम को स्थायी तौर पर वहां रखा। उस समय से स्वर्गीय पुरखाराम परिवार सहित वहां रहे तथा ग्राम पूनास स्थित आराजियात पर न तो कभी काश्त किया, न ही काश्त करने हेतु तत्कालीन जागीरदार पूनास अथवा राज्य सरकार से कोई संविदा की, न ही कभी लगान अदा किया, जिससे पुरखाराम व उसके वारिसान का विवादित जमीन ग्राम पूनास में लगान किसी रूप में अदा किया जिससे उक्त आराजी बाबत उन्हे कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं होते है। शुरूआती तौर पर स्वर्गीय पुरखारामजी के नाम की प्रविष्टि बिना किसी जांच व हीराराम, दुर्गाराम की सहमति के बिना कर दिये जाने से राजस्व रेकर्ड में आगे के चौसाला में भी गलत रूप से नाम दर्ज होता रहा, जो पूर्णतया अवैध है। जिससे अपीलांट की ओर से स्वर्गीय पुरखाराम के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के खिलाफ एक घोषणा हक खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष वाद बंटवाडा, घोषणा खातेदारी व स्थायी व्यादेश का पेश किया व साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पेश कर मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आवेदन पेश किया।

{2}(III)– न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना ने दिनांक 22.11.2021 को राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 127/21 में आदेश पारित किया कि ग्राम पूनास के खसरा नम्बर 17, 42, 44, 49, 196 कुल रकबा 15.67 हैक्टयर भूमि का अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 (रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 सीताराम, चुकीदेवी व संतोष) आगामी तारीख पेशी तक बेचान, बख्शीश व हस्तान्तरण नहीं करे व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 (पटवारी हल्का ग्राम पूनास व तहसीलदार साहब सांजू) उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

{2}(IV) आदेश दिनांक 22.11.21 को आगामी पेशी दिनांक 03.01.2022 नियत की गई थी, जिसके सम्मन पटवारी हल्का पूनास को भेजा गया, लेकिन पटवारी हल्का पूनास ने सवार से मिलावट कर यह अंकन करवा दिया कि पटवारी हल्का अवकाश पर हैं, तामिल करवाना सम्भव नहीं हैं, लेकिन अपीलांट ने पटवारी हल्का को न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 22.11.2021 की पूर्ण जानकारी दूरभाष के जरिये दी और उसकी एक प्रति भी पटवारी हल्का को तहसील कार्यालय में जाकर दी गई। इसी के साथ तहसीलदार सांजू को भी न्यायालय का सम्मन भेजा गया एवं उक्त सम्मत में तहसीलदार सांजू ने दिनांक 31.12.2021 सम्मन रिसीव कर लिया एवं स्थगन आदेश की एक प्रति भी तहसीलदार सांजू को प्रेषित की गई है। पूरी राजस्व टीम को स्थगन आदेश की जानकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा भिजवाई गई थी। लेकिन पटवारी हल्का सांजू रेस्पोडेंट संख्या 04 ने साजिश रचकर तहसीलदार डेगाना, सांजू व मेडता को मिथ्या रिपोर्ट पेश करवाकर न्यायालय के स्थगन आदेश रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखने के आदेश के बावजूद भी म्यूटेशन जेर अपील दिनांक 04.01.2022 को गलत व गैर कानूनी रूप से स्वीकार करवा लिया, इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की अदालत के आदेश की अवहेलना की गई, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तारीफ में आता है एवं आदेश म्यूटेशन विधि विरूद्व एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V) म्यूटेशन जेर अपील का संबंध तहसीलदार मेडता से नही था फिर भी तहसीलदार मेडता की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। म्यूटेशन जेर अपील की भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 अथवा उनके पूर्वज कभी भी काबिज नहीं रहे एवं कब्जे के अभाव में म्यूटेशन जेर अपील स्वीकृत किया जाना गलत व गेर कानूनी होने से आदेश जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI) म्यूटेशन जेर अपील के खसरा नम्बरान 17, 42, 44, 49 176 वाके मौजा पूनास के संबंध में राजस्व न्यायालयों में वाद विचाराधीन था एवं उक्त वाद में न्यायालय द्वारा रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश भी जारी कर दिया था कि उक्त वाद में विवादित बिन्दु यही था कि म्यूटेशन जेर अपील से संबंधित खसरा नम्बरान में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 का हक व हिस्सा नहीं है। दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर इस विवादित बिन्दू को तय किया जाना था, जो निर्णय साक्ष्य सबूत लेकर अंतिम निर्णय पर था, लेकिन राजस्व वाद लम्बित होते हुए स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद भी राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 ने म्यूटेशन जेर अपील विधि विरूद्व रूप से पारित किया, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII) म्यूटेशन जेर अपील की आड में रेस्पोडेंट चुवादेवी सीताराम ने आईसीआईसीआई बैक से मिलावट कर लाखों रूपयो का लोन प्राप्त कर लिया हैं, जबकि भूमि पर कब्जे के अभाव में ऋण दिया जाना गलत व गैर कानूनी है। पटवारी हल्का डाबरियानी व तहसीलदार सांजू ने मिथ्या जांच रिपोर्ट तैयार कर रेस्पोडेंट संख्या 4 से 7 के साथ मिलावट कर धोखाधडी कर ऋण प्राप्त किया, जो गलत तथ्य बताकर प्राप्त किया गया है। जिससे आईसीआईसीआई बैक शाखा मेडता सिटी के नाम का इन्द्राज जो म्यूटेशन जेर अपील में किया गया हैं, वो भी अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VIII) न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.11.2021 में स्पष्ट उल्लेखित था कि राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, उसके उपरांत भी आईसीआईसीआई बैक शाखा मेडता के नाम का ऋण का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड खतौनी में कर दिया गया है, जो गलत व गैर कानूनी होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}– वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने अपनी बहस में बताया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है। जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। उक्त नामान्तरण विधि अनुसार भरा गया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आआरडी 2009 पेज 123 से 128 तथा आरआरडी 1992 पेज 356 से 358 तक नजीरे पेश की।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) डेगाना मौजा पूनास के नामान्तरकरण सं. 157 निर्णय दिनांक 04.01.2022 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त जायगा के संबंध में सहायक कलक्टर डेगाना दिनांक 22.11.2021 द्वारा मौजा पूनास के खसरा नम्बर 17, 42, 44, 49, 176 कुल रकबा 15.67 हैक्टयर भूमि का स्थगन आदेश जारी कर निर्देश दिया कि उक्त जायगा का बख्शीस, हस्तान्तरण आदि नहीं करे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है उक्त स्थगन आदेश की तामिल तहसीलदार डेगाना पर दिनांक 31.12.2021 को सम्यक रूप से हो चुकी थी। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रसंज्ञान में आते ही तहसीलदार डेगाना का यह दायित्व था कि न्यायालय के आदेशानुसार उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्त है कि किसी न्यायालय द्वारा यदि किसी अधिकारी/व्यक्ति/संस्था को किन्ही निर्देशों की पालना के लिए आदेशित किया है तो संबंधित अधिकारी/व्यक्ति/संस्था को चाहिए कि इस आदेश को उसी अनुसार पालना करे, जिस प्रकार उसे पारित करने वाले न्यायालय की अवधारणा हो। यदि वह अधिकारी/व्यक्ति/संस्था उक्त पारित आदेश से व्यथित है तो सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है परन्तु अपीलीय न्यायालय के द्वारा उक्त आदेश के अपास्त/संशोधन करने तक वह अधिकारी/व्यक्ति/संस्था उसकी पालना करने के लिए बाध्य है।

हस्तगत अपील में तहसीलदार डेगाना ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश सम्यक तामिल होने के बावजूद वादग्रस्त आराजी के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 157 दिनांक 04.01.2022 रेस्पोडेंट्स के पक्ष में स्वीकार कर विधि का उल्लंघन किया है। अतः हस्तगत अपील में विधि का उल्लंघन करते हुए स्वीकार किया गया नामान्तरकरण संख्या 157 खारिज करने योग्य है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू.अ.) डेगाना मौजा पूनास के नामान्तरकरण सं. 157 निर्णय दिनांक 04.01.2022 को अपास्त किया जाता है।

{6}– निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अशोक कुमार योगी)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर